संख्या–966 /38–7–2008–88एनआरईजीए/07

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

लखनऊः दिनांकः 17 ~~मार्च~~ अप्रैल 2008

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण एवं वाटर रिचार्जिंग के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जल संचयन एवं जल संवर्द्धन के उद्देश्य से तालाब निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इस संबंध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि उक्त योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण के समय भूगर्भ जल रिचार्ज के तकनीकी पहलुओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्मित तालाबों तथा निमार्णाधीन तालाबों में भूगर्भ जल रिचार्ज की तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से योजना के प्रारम्भ में ही वाटर रिचार्जिंग का तकनीकी आगणन भी समावेशित कर कार्य योजना का कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–966 (1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।